

हरियाणा सरकार

स्थानीय शासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 नवम्बर, 1996

संसारका०नि० 103/संवि०/प्रतु०/309/96.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्थानीय निकाय विभाग (ग्रुप-ब) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग—I सामान्य

1. ये नियम हरियाणा स्थानीय निकाय विभाग (ग्रुप-ब) सेवा नियम, 1996, संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

कहे जा सकते हैं।

परिमाण।

2. ये नियम तुरंत प्रभाकर से लागू होंगे।
 इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी पदवारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ख) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक स्थानीय निकाय, हरियाणा;

(ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(घ) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(ङ) "सेवा" में अभिप्राय है, हरियाणा स्थानीय निकाय विभाग (ग्रुप-ब)
 सेवा।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में बताए गये पद होंगे :

न्त इन नियमों की कई भी बात ऐसे पदों की संख्या में बढ़िया कमी करने या विभिन्न नामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार व अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

पदों की संख्या
 तथा
 स्वरूप।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को राष्ट्रिकता, अधिकार सहा वरिष्ठ।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक की वह निम्नलिखित न हो :—
- भारत का नागरिक ; या
 - नेपाल की प्रजा ; या
 - भूटान की प्रजा ; या
 - तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या
 - भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जांचिया, मलाबी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीका देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख) (ग) तथा (इ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पाकता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पाकता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव सरकार द्वारा उसे आवश्यक पाकता प्रमाण—पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविधालय, महाविधालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हों, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण—पत्र और दो ऐसे जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उससे सम्बन्धित न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन से भली—भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करें ।

आवृत्ति ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त न हो (नियुक्त न हो) जाएगा, जब तक वह नियुक्ति प्राधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के या उससे पहले सोलह वर्ष से कम अवधि वैतीस वर्ष से अधिक आयु का हो ।

नियुक्ति
प्राधिकारी ।

योग्यताहृ ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियाँ निवेशक, द्वारा की जायेंगी ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट (ख) के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में, पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनियिट योग्यताएँ तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियाँ, पिछड़े वर्गों, भत्तपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उसके लिये आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिये लिखित रूप से कारण दिये जायेंगे।

8. कोई भी व्यक्ति,—

योग्यताएँ।

- (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है, या विवाह की संविदा कर ली है ; या
- (ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :—

भर्ती का ढंग।

(क) दफतरी की दशा में,—

(i) सेवादारों, में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) भेवादार; चौकीदार; तथा सफाईकर्ता की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, सभी पदोन्नतियाँ ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के मिए कोई अधिकार नहीं देगी।

10. सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा :

परिवीक्षा।

परन्तु,—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी।

(ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अवधि उच्चतर पद पर किए गए कार्य कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनने दी जा सकती; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न के रूप में कार्य किया हो, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो, वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कारंबाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निवन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि, उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसके अवधि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है। या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कारंबाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निवन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

पस्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी :

परन्तु जहां सेवाओं में विभिन्न संबंध हों वहां प्रत्वेक संबंध के लिये ज्येष्ठता अलग-अलग रूप से निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत कर्त्तव्य समय भर्ती प्राधिकरण द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी,—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किये गये सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किये गये सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संबंधों में स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता। वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा। जो अपनी पहले की नियुक्ति में इच्छितर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर, सेवा करने के लिये दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :—

(i) किसी कम्पनी, संगम या अधिकारी वाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास हो या हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी संगम या अधिकारी वाहे वह नियमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; या

2 (iii) कोई ग्रन्थ राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :

3 परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी ग्रन्थ राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

ज्येष्ठता ।

सेवा करने का दायित्व ।

छूट्टी, पैशन, वेतन
तथा अन्य मामले।

अनुशासन, शास्त्रियों
तथा अपीलें।

टीका लगवाना।

राजनिष्ठा की शपथ।

दील देने की
शक्तियाँ।

बिशेष उपबन्ध।

आरक्षण।

निरसन तथा
व्यावृत्ति।

13. वेतन, छूट्टी, पैशन तथा अन्य सभी मामलों के संबंध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अच्छा राज्य विधान-मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गये हों, अच्छा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएँ।

14. (1) अनुशासन, शास्त्रियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरिदारा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होंगे:

परन्तु ऐसी शास्त्रियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्त्रियां लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिवर्णित ग में विनियोग हैं।

हरिदारा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) वा खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी बहु होगा जो इन नियमों के परिवर्णित घ में बताया गया है।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साकारण आदेश द्वारा निवेश करे, टीका लगवाएगा तथा पुनः टीका लगवाएगा।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के अनु राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में दील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी बर्ग या प्रबर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्त प्राधिकारी यदि वह नियुक्त आदेश में विशेष नियन्त्रण तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

19. इन नियमों में दो गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य बर्ग या प्रबर्ग को दिए जाने के लिए आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी:

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय 5% की पूर्व से अधिक नहीं होगी।

20. सेवा को पंजाब राज्य (चतुर्थ श्रेणी) सेवा नियम, 1963, सहित लागू होने तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के प्रारम्भ से होने लागू हो, इसके द्वारा निरसित किया जाता है:

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या कोई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अन्तर्गत किया गया आदेश अच्छा की गई होइ समझी जायेगी।

सेवाओं

में उसे

वन्धु में

देश कर

र कर

शामिल

परिशिष्ट क

(वेदिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थादी	अस्थाई	ओढ़	
1	2	3	4	5	6
1	दफ्तरी	1	1	2	800—15—1,010—दफ्तरारोध — 20 — 1,150 रुपये
2	सेवादार	3	18	21	750—12—870—दफ्तरारोध — 14 — 940 रुपये
3	चौकीदार	—	2	2	750—12—870—दफ्तरारोध — 14 — 940 रुपये
4	सफाईकर्ता	—	1	1	750—12—870—दफ्तरारोध — 14 — 940 रुपए

परिशिष्ट ख

(वेदिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अहंताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो ।	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अहंताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो ।
1	2	3	4
1	दफ्तरी	—	(i) स्थानान्तरण द्वारा पांच वर्ष की नियमित सेवा नियुक्ति की दशा में मिडिल पास । (ii) पदोन्नति की दशा में सेवादार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।
2	सेवादार	<u>मिडिल पास</u>	<u>मिडिल पास</u> ।
3	चौकीदार	<u>हिन्दी पढ़ तथा लिख सकता हो</u>	<u>हिन्दी पढ़ तथा लिख सकता हो</u> ।
4	सफाईकर्ता	<u>हिन्दी पढ़ तथा लिख सकता हो</u>	<u>हिन्दी पढ़ तथा लिख सकता हो</u> ।

परिचय

[देखिए नियम 14(1)]

क्रम	बदनाम	नियुक्ति	शास्तियों का सचरूप	जाहिल लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	भवीत शास्त्रीय तथा अंतिम भवीत प्राधिकारी यदि कोई है।
1	2	3	4	5	6

1	दफतरी	निदेशक	1. छोटी शास्तियाँ :	निदेशक	आयुक्त एवं सचिव, सरकार हरियाणा सरकार,
2	बेवादार		(i) बैयक्तिक काइल (भाषण 'पंजी) पर प्रति रखते हुये घेताबनी;		स्थानीय निकाय विभाग
3	बीकीदार		(ii) परिनिवाः;		
4	सफाईकर्ता		(iii) पदोन्नति रोकना;		
			(iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार वा राज्य सरकार को या ऐसी कामनों, तथा संगम या व्यष्टि निकाय वाहे, वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व वा नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विशेष विद्यालय को हुई धन संबंधी पूरी हानि की या उस के भाग की वेतन से वसूली ;		
			(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन बूद्धियाँ रोकना ;		
			2. बड़ी शास्तियाँ :		
			(vi) संचयी प्रभाव से वेतन बूद्धियाँ रोकना ;	निदेशक	आयुक्त एवं सचिव, सरकार हरियाणा सरकार
			(vii) किसी विनिदिंष्ट भवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम		

1 2 3 4 5 6 7

पर श्रवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों
 सहित कि क्या। सरकारी कर्मचारी
 ऐसी श्रवनति की अवधि के दौरान
 वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या
 नहीं और क्या ऐसी अवधि की
 समाप्ति पर, ऐसी श्रवनति उस की
 भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने
 का प्रभाव रखेगी या नहीं ;

(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड,
 पद या सेवा पर ऐसी
 श्रवनति जो सरकारी
 कर्मचारी के उस समय वेतनमान,
 ग्रेड, पद या सेवा पर,
 जिससे वह श्रवनति किया गया था,
 पदोन्नति के लिये साधारणतया,
 रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा
 पद से सरकारी कर्मचारी
 श्रवनति किया गया था उस पर
 बहुली संबंधी और उस की
 ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या
 सेवा पर वेतन के बारे में शांतों
 संबंधी अतिरिक्त निर्देशों के साथ
 या उनके बिना होगा ;

(ix) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;

(x) सेवा से हटाया जाना जो
 सरकार के अधीन भावी नियोजन
 के लिये निरहंता नहीं होगी ;

(xi) सेवा से पदन्यूति जो सरकार
 के अधीन भावी नियोजन के लिए
 नामान्वयतः निरहंता होगी ।

परिशिष्ट व

[दिल्ली नियम 14 (2)]

क्रम	पदनाम	आदेशों का स्वरूप	आदेश करने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	अस्तिम तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6

- 1 दण्डरी (i) पैशां को नियंत्रित करने वाले तिथियों के अधीन उसे अनुज्ञा
2 चौकीदार तिथियों के अधीन उसे अनुज्ञा
3 सफाईकारी सामाज्य/प्रतिरक्षित पैशां की
4 सेवादार] राशि में कभी करना या रोकना ;
- (ii) सेवा के किसी सदस्य की उसके अधिबर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।

निदेशक आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्थानीय निकाय विभाग ।

टी० डी० जोगपाल,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्थानीय शासन विभाग ।